

तारीख हुक्म

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय मय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् को कोर्ट समाप्ति तक बार-बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद आवाजों के भी हाजिर अदालत नहीं आये है। वास्ते खारिज होने वाले प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 23.12.2024 को पेश हो।

20.12.2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय मय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् को कोर्ट समाप्ति तक बार-बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद आवाजों के भी हाजिर अदालत नहीं आये है। वास्ते खारिज होने वाले प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पत्रावली दिनांक 23.12.2024 को पेश हो।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

23.12.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् अनुपस्थित प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। बावजूद आवाजों के भी वकुलाय उभय पक्षकारान् में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् को अनुपस्थिती में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

